

देवघर समाहणालय

(जिला भू-अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या: 37.1/भू अ0

दिनांक : 29/05/2013

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :-महुआडाबर, थाना :-पालोजोरी, थाना सं०-397, अंचल:-पालोजोरी, जिला :-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना- नोनीहाट-बासुकिनाथ -केराबानी- पालोजोरी-बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :-महुआडाबर, थाना :-पालोजोरी, थाना सं०-397, अंचल:-पालोजोरी, जिला :-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमीवेश 0.13 एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	8	491	प्रधान का जोत	बांध	0.11	कार्तिक मियां वो जमाउद्दीन मियां वो चिराउद्दीन मियां पे० अमीन मियां वो सपेश्वर मियां वो मसरुद्दीन मियां पे० स्व० ताजउद्दीन मियां वो निजामुद्दीन अंसारी पे० स्व० सफरुद्दीन मियां वो आबुल सतार वो जलाउद्दीन मियां वो खेरुण बीबी माता करवा बीबी वो अनीउद्दीन मियां वो मुस्लिम मियां वो पांचू मियां पिता स्व० कादीर मियां वो तीतु मियां पे० स्व० हेमलती मियां वो चिराउद्दीन वो सिराजुद्दीन मियां वो अब्बास मियां वो फतयद्दीन मियां वो करुदीन मियां पे० स्व० मकसेद मियां वो आसीम बीबी पे० स्व० इमदाद मियां वो आयुब मियां वो आकुब मियां वो एनाउल मियां पे० स्व० दाउद मियां वो हारुण मियां पे० स्व० जनाल मियां वो मो० नुर वो जमालुद्दीन वो जमशेद वो समसुद्दीन मियां पे० स्व० रहमान मियां वो ताहिर मियां वो रासो मियां पे० स्व० कुशी मियां वो बबलू मियां वो जाबलु मियां वो अब्दूल मियां वो सिकेन्दर मियां वो वराकता मियां वो लियाकत मियां पे० स्व० दरोगी मियां।	निज	झगरू मियां-	दाग नं०- 583	दाग नं०- 509
2	4(क)	619	रैयती	धानी- 3	0.02	कयुम अंसारी वो अफरुद्दीन अंसारी वो फकरुद्दीन अंसारी पे० स्व० सौनावली अंसारी वो अजिम उद्दीन अंसारी पे० स्व० उमर अली वो फतीमा बीबी पिता रामजान अली वो ताजीम मिया वो काजीम मियां वो स्व० कुबार अली ।				
कुल योग-					0.13					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने,

किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह/—

समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक 371 / भू अ0, देवघर, दिनांक 29/05/2017 50

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

ह/—

समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।